	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 09, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 01, 2021 *Asvina 09, Friday, Saka 1943- October 01, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

एस.ओ.591 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020, 27.07.2020 और 17.10.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार, समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम/परिषद्/बोर्ड के समस्त अधिकारी, जिला परिषद् के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समस्त ब्लाक विकास अधिकारियों को नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश या विनियम के अतिक्रमण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर शमन करने हेतु उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	**अपराध**	**रुपये में रकम, जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है**
1	**2**	**3**
1.	कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय करता है।	रु. 10,000/-
2.	कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाया जाता है या चलाने के लिए अनुमति देता है ।	रु. 2000/-

"

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.